राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर – 302005
दूरभाष नं. 0141–2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/जय/निविदा/2021/ 1799 दिनांक :– 16.08.2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर जिले के विभिन्न पुलिस थाना/चौकियो पर पडी हुई बजरी आरक्षित दर 550/–रू. प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स जयपुर द्वारा अनुमोदित) पर **जैसी है उसी स्थिति** में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरणविभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/– रू. का डी.डी./बैंकर्स चैक "खनि अभियन्ता, जयपुर" (MINING ENGINEER JAIPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 08 सितम्बर 2021 (दोपहर 1.30 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रत्येक पुलिस थाना/चौकियो में पडी बजरी के लिए अलग–अलग बोली दरें मय बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, सीलबंद लिफाफे में विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से दिनांक 08 सितम्बर 2021 (सांयकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 09 सितम्बर 2021 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

16/8/2021
(के.सी. गोयल)
खनि अभियन्ता जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर – 302005
दूरभाष नं. 0141–2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/जय/निविदा/2021/1800 दिनांक :– 16.08.2021

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

जयपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान खाली कराई गई बजरी **(जैसी हैं उसी स्थिति में)** पडी हुई है। बजरी नीलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से दिनांक 08 सितम्बर 2021 तक निविदाऐं आमंत्रित की जाती है:–

क्रम सं.	पुलिस थाने का नाम जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना/ अमानत राशि
1	कालवाड	669	7400
2	करधनी	676	7450
3	सांगानेर सदर	1251	13800
4	शिवदासपुरा	953	10500
5	कानोता	499	5500
6	फागी	3255.5	35820
7	रेनवाल चौकी (फागी)	1046	11510
8	जोबनेर	572	6300
9	दूदू	1436	15800
10	बगरू	1861	20450

निविदा शर्ते :–

1. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार /विभाग द्वारा निविदा शर्तो में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।
2. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। **लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए।** सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 08 सितम्बर 2021 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
3. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **खनि अभियन्ता, जयपुर** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक थाना क्षेत्र/चौकी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे।

4. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
5. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित पुलिस थाना/चौकी परिसर मे की जा सकती है।
6. **सफल निविदादाता को बजरी पुलिस थाना/चौकी परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।**
7. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 09 सितम्बर 2021 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगीएवंसफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 7 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को बजरी 15 दिवस में उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
8. सफल निविदादाता को सम्बन्धित थाना क्षेत्र/चौकी की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. निविदादाता को **एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड** एवं **पेन कार्ड** इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
10. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Taxअतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।
14. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन हेतु विभागीय रवन्ना जारी किये जायेगे।
15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा बजरी की फोटो, वाहनो की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं उठाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमो के अनुसार होगी।

6/8/2021

(के.सी. गोयल)
खनि अभियन्ता जयपुर
दिनांक :

क्रमांकः– खअ/जय/नीलामी/2021/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. प्रभारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना दूदू, करधनी, कालवाड, बगरू, सांगानेर सदर, रेनवाल चौकी, फागी, जोबनेर, कानोता एवं शिवदासपुरा।
7. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता, जयपुर